प्रथम अध्याय

महानगरसे तात्पर्य

प्रथम अध्याय

महानगरसे तात्पर्य

(१) महानगर से आप क्या समझते हैं ?

'महानगर' इस शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषासे हुयी है। अंग्रेजी में इसके लिए "Metropolis" यह शब्द प्रचलित है। आरंभ में 'महानगर' शब्द का अभिप्राय 'मातृ-नगर' से था। इसी भावना पर ग्रीक के प्राचीन नगर आधारित थे। आज दस लाख से अधिक आबादी वाले नगर को हम 'महानगर' कहते हैं।

प्रसिध्द समाजशास्त्रज्ञ बर्गेल के मतानुसार --

'अनेक महानगर विशेषीकरण पर आधारित हैं। फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि, प्रत्येक महानगर में विशेषीकरण ही हो। न्यूयॉर्क, दिल्ली, लन्दन आदि महानगर हैं, क्योंकि, इनका अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है। आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिसे अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का होना महानगर के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ भूमि, क्षेत्रफळ तथा जनसंख्या आदि भी महत्वपूर्ण हो।'[१]

किसी नगर को महानगर की श्रेणी में शामिल करने के लिए किन नियमों या मानदण्डों को अपनाया जाय इस बारे में अनेक प्रकार के दृष्टिकोण अपनाये गये हैं। अमेरिका में सन् १९५० मे भी जनगणना के आधारपर महानगरों की सूची बनाई गयी है। उस समय १७२ केन्द्रों को महानगर घोषित किया गया था। इस निर्धारण के लिए उद्योग, व्यवसाय तथा जनसंख्या आदि बातों को आधार माना गया। इसके विपरीत इंग्लैंड में कस्बों के आधारपर महानगर को

---

१ ग्रामीण।नागरीय समाजशास्त्र - आर.एन.मुखर्जी - पृ. १६ ।

परिभाषित किया गया है। भारत में दिल्ली,कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और कुछ पैमाने पर कानपुर,पुना आदि नगर महानगर की श्रेणी में आते हैं। इन महानगरों का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है ही साथ ही औद्योगिक विकास,व्यापार, तकनीकी और शिक्षा के केन्द्र आदि के कारण इन महानगरों का महत्व निर्विवाद है।

(२) <u>महानगरों की उत्पत्ति और विकास --</u>

नगरों या महानगरों की उत्पत्ति एक ओर मनुष्य की जनसंख्या से संबंधित है तो दुसरी ओर उसकी नींव उद्योग और व्यापार पर टिकी हुयी है। फिर भी महानगरों या शहरों की उत्पत्ति कब और कहाँ हुयी, यह बतलाना कठिन है। गिस्ट और हेलबर्ट के शब्दों में " स्वयं सभ्यता के समान ही नगर का जन्म भी भूत के अन्धेरे में खो गया है।" [१]

उद्योग और व्यापार के कारण यातायात के साधनों और बाजारों की जरुरत पड़ती है। इनके साथ साथ होटलों, दफ्तरों तथा आवास स्थानों की संख्या बढती है और गाँव का कस्बा तथा कस्बे से नगर बन जाता है। विशाल उद्योगों और बड़ेबड़े व्यापारों के कारण मजदूर और व्यापारी आकर बस जाते हैं। फिर स्कूल,कालिज, विश्वविद्यालय खुलते हैं, सड़के बनती है, इमारतें खड़ी की जाती हैं, बड़े बड़े बाजार,मण्डियाँ बसती हैं, डाक्टर,वकिल,अध्यापक,व्यापारी इकठ्ठे होते हैं, जिनकी जान-माल की व्यवस्था के लिए पुलिस थाने और न्यायालय बनाये जाते हैं और एक नगर बन जाता है। कहीं कोई विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है तो हजारों विद्यार्थी पढने आते हैं, सैकड़ो अध्यापक पढाने आते हैं, उनके रहने के लिए मकान बन जाते हैं, होटल और सिनेमाघर खुलते हैं, खनिज पदार्थों के खूब पाये जाने के कारण बड़े बड़े कारखाने खड़े किये जाते हैं जिनमें काम करने के लिए हजारों मजदूर आते हैं, उनके लिए मकान बन जाते हैं, और महानगर बन जाता है।

---

१ Like the origin of civilization itself the origin of city it lost in the obscurity of the past " - Gist & Halbert

"भारत में नगरीय समाजशास्त्र" - डा.रामनाथ शर्मा - पृ.२२।

इस तरह नगरों की उत्पत्ति और विकास में उद्योग, व्यापार और जनसंख्या का प्रमुख महत्व है।

नगरों के विकास के कारण ---

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि नगरों की उत्पत्ति और विकास का कोई एकमात्र कारण नहीं हो सकता। स्थूल रुपसे नगरों के विकास के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं।

(१) व्यापारिक क्रान्ति ---

व्यापारिक क्रान्ति ने बड़े बड़े उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहित किया जिससे बड़े बड़े कारखाने, बाजार, मण्डियाँ स्थापित हुईं। छोटे-छोटे उद्योग भी विकसित हुये। इस कारण कुछ स्थान व्यापार के बड़े केन्द्र बने और वहाँ बड़े नगर बस गये।

(२) औद्योगिक क्रान्ति ---

नगरों के विकास में सबसे बडा हाथ औद्योगिक क्रान्ति का है। जैसे जैसे नये उद्योग के क्षेत्र खुल जाते हैं, वैसे वैसे नये नगर बसते जाते हैं। कहीं कपड़े की मिलें हैं, कहीं हवाई जहाज बनाये जाते हैं। बाष्प और विद्युत की शक्ति से ऐसे कारखाने बनाये गये हैं जिसमें हजारों मजदूर और कर्मचारी काम करते हैं। माल को लाने ले जाने के लिए यातायात के साधन बढ़ते हैं और वहाँ एक बडा नगर बन जाता है।

(३) कृषि क्रान्ति ---

बिजली तथा डीजल से चलनेवाली विशालकाय मशीने और सैंकडो नये नये यंत्रों का आविष्कार यह आधुनिक युग की देन है। इन मशीनों के जरिए मिलों लंबी खेती बहुत थोडे आदमी आसानीसे कर सकते हैं। इससे लोग अन्य उद्योग धन्दो में लग सके। वे काम की तलाश में इन कारखानों के पास जा पहुँचे और बड़े बड़े नगर बसने लगे। पश्चिमी देशों में कृषि-क्रान्ति नगरों के विकास का एक महत्वपूर्ण कारण है।

(४) <u>आवागमन के साधन</u> --

रेलों, बसों, ट्रकों के बिना नगर व्यापार के केन्द्र नहीं बन सकते थे। पहले पशुओं के सहारे माल इधर से उधर किया जाता था, जिसमें बड़ी कठिनाईयाँ होती थी। अब मोटरें, वायुयानों तथा जहाजों के सहारे माल कम समय में हजारों मिल इधर से उधर किया जाता है। इसतरह नगरों में बड़ी बड़ी दूरी से माल आता है और बड़े बड़े राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार बन जाते हैं। कलकत्ता जैसे व्यापारिक नगर के विकास का एक बड़ा कारण यह यातायात के साधनों का विकास है।

(५) <u>संदेश वहन के साधनों का विकास</u> --

डाक, तार, रेडियो, टेलिफोन, समाचार पत्रों आदि के विकास के कारण आज सभी स्थानों पर व्यापारिक समाचार आसानीसे पहुँच जाते हैं। इन सभी सुविधाओं से व्यापार का विकास हुआ है और व्यापार के विकास के कारण बड़े-बड़े नगरों के विकास में बड़ी प्रगति हुयी है।

(६) <u>राजनीतिक कारण</u> --

संसार के सब देशों की राजधानियाँ राजनीतिक क्षेत्र का मुख्य अड्डा होती है इसलिए उसका महत्व बढ़ जाता है और वे नगर बड़े-बड़े नगरों में विकसित होते हैं। दिल्ली, लन्दन, न्यूयॉर्क, टोकियो आदि की प्रगति का मुख्य कारण उनका राजधानी होना ही है।

(७) <u>शिक्षा केन्द्र</u> ---

उच्च शिक्षा के केन्द्र भी शीघ्र ही महानगरों में विकसित होते हैं। देश-विदेश से आये हुये लाखों विद्यार्थी, उनकी आवश्यकताओं की पुर्ति के लिए दुकाने, होटल, सिनेमा घर खुल जाते हैं और महानगर बन जाते हैं।

(८) नगरीय सुविधाये तथा सुख के साधन --

नगर में स्कूल, कॅालेज, विश्वविद्यालय, नाटयशाला, सिनेमाघर, होटल, मेडिकल तथा औद्योगिक कॅालेजों आदि की सुविधाये होती है। गाँव में पैसा रहनेपर भी सुखोपयोग के साधन नहीं होते ,खेती के अलावा कोई करने लायक काम भी नही होता। इसलिए बहुत से लोग काम की तलाश और मनोरंजन के साधनों का उपभोग करने के लिए नगरों की ओर आते रहते है। नगरों के आकर्षण, मनोरंजन, शिक्षा तथा पैसा कमाने के साधनों के कारण लोग गाँवों को छोडकर शहरों में बस जाते है, परिणामत: जनसंख्या की वृध्दी होती है और छोटे-छोटे नगर भी महानगर बन जाते हैं।

(३) नगरीय समुदाय का लक्षण --

ग्रामीण समाज की तरह ही नागरिक समाज भी सामुदायिक जीवन का एक विशेष प्रकार है। उपर्युक्त दोनों समुदायों के अपने विभिन्न लक्षण होते है। जिनके सहारे ग्रामीण और नगरीय जीवन का भेद दिखाई देता है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणसे नागरिक समाज में निम्नलिखित लक्षण देखें जा सकते हैं।

(१) सामाजिक विजातीयता --

गाँव की अपेक्षा नगरों में अनेक संस्कृतियों और प्रजातियों के लोग मिलते हैं। नगर में अनेक संस्कृतियों की संस्थायें, विचार, आदर्श आदि का विकास होता है और उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। गाँव में एकता और प्राचिन संस्कृति को अधिक महत्व होता है। नगर के समाज में सैकडों व्यवसायों, व्यापारों, जातियों तथा विचारधाराओं के लोग बसते हैं।

२) माध्यमिक नियंत्रण --

माध्यमिक नियंत्रण के कारण लोगों को गाँव की तरह परिवार, बिरादरी, जाति का कोई भय नही होता। पुलिस, कानून और जेल के भय के कारण नगर के लोगों के व्यवहार का नियंत्रण बराबर होता रहता है।

३) सामाजिक गतिशीलता --

नगरीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता गतिशीलता है। इसका कारण औद्योगिक क्रान्ति ही है। नगर में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों तथा आर्थिक स्थिति पर अवलंबित होती है। अत: हर व्यक्ति को बुध्दि और परिश्रम के बल पर आगे बढने का अवसर मिलता है। नगरों में अन्तर्जातीय विवाहों की संख्या बढ रही है क्योंकि वहाँ जात-पात के बंधन शिघ्रता से टूट रहे हैं। सभी जाति के लोगों और स्त्रीयों को मौलिक मानवीय अधिकार मिल रहे हैं।

४) व्यक्तिवता --

शहर में आदर्शों विचारों और व्यवहारों की अधिक भिन्नता होने के कारण शहर के व्यक्तिपर परंम्पराओं का नियंत्रण उठ जाता है। वह स्वयं अपनी रुची, स्वार्थ और संस्कारों के अनुसार अपने तौर तरीके निश्चित करता है। इससे उसके व्यवहार में कभी उच्छृंखलता आती है तो दुसरी ओर उसके व्यक्तित्व का विकास भी होता है।

५) सामुदायिक भावना का अभाव --

नगरों में गाँव के समान सामुदायिक भावना नही दिखाई पड़ती। नगरों में न लोक निंदा का भय होता है और न पास-पडोस का ख्याल। सब अपने-अपने काम मे व्यस्त रहते है। किसी को किसी की ओर देखने की फुरसत नहीं होती।

६) पारिवारिक एकता का अभाव --

नगरों में केवल सामुदायिक भावना का अभाव ही नहीं बल्कि पारिवारिक एकता का अभाव भी दिखाई पड़ता है। स्त्री-पुरुष, भाई-बहन, पिता-पुत्र सभी की अलग-अलग सोसायटी होती है और अपने-अपने प्रोग्रैम। किसी को किसी से मतलब नहीं रहता कभी-कभी घर होटल की तरह लगता है, जहाँ लोग भोजन करने और आराम करने आते हैं। परिवार के सदस्य एक-दुसरे के प्रति घृणा-भाव रखते हैं तब पारिवारिक एकता का अभाव दिखाई पड़ता है।

७) नैतिक शिथिलता --

पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव और भोगविलास के कारण नगरों में चरित्र और नैतिकता में काफी-शिथिलता दिखाई पड़ती है। नगर के व्यक्ति पर समाज तथा परिवार का कोई नियंत्रण नही रहता इस लिए विवाह के पूर्व तथा विवाह के बाद भी बाहर यौन संबंधों की भरमार रहती है।

८) अपराधी वृत्ति --

गाँवों की अपेक्षा नागरिक समाज में अपराधों की बहुलता होती है। चोरी, खून, व्यभिचार तथा गर्भपात से लेकर डकैती तक के विविध प्रकार के अपराध नगरों में होते हैं।

९) सामाजिक विघटन --

इन सब कारणों से नगर के लोगों में असंतोष और अशान्ति रहती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुपमें नगर में हमेशा संघर्ष का वातावरण रहता है। आये दिन हड़ताले, दंगे, सांप्रदायिकता और दलबंदी होती है। व्यक्ति और समाज में सामंजस्य नहीं दिखाई देता और सामाजिक विघटन होता रहता है।

१०) विषमता --

विषमता नगरों का एक प्रमुख लक्षण होता है। अमीरों और गरीबों के घरों, रहन-सहन, आदि में घोर विषमता पायी जाती है। एक ओर ऊँची-ऊँची इमारतें और अलिशान फ्लैटस होते हैं तो दुसरी ओर गंदी बस्तियाँ। सैकड़ों लोग

ठंडी, बारीश और तपती हुई धुप में फुटपाथ पर पडे रहते हैं। नगरों में भिन्न - भिन्न जाति, धर्मों, वर्गों के लोग रहने के कारण उनके खान-पान, रहन-सहन, वेशभूषा, बोली, धर्म, शिक्षा, रीति-रिवाज, सामाजिक व्यवहार आदिमें असमानता देखी जाती है। नगर के लोगों के विचारों, आदर्शों मानसिक प्रवृत्तियों में भी भारी अंतर होता है।

११) गतिशील जीवन --

नगर का जीवन गाँव की अपेक्षा बहुत ही गतिशील होता है। फैशन, शिक्षा, पैसा, शान-शौकत, सुखोपभोग, पद आदि के लिए नगरनिवासीयों में होड सी लगी रहती है। सब लोग अपने-अपने काम में मशगुल रहते हैं। किसी को किसी की खबर नही होती क्योंकि उनमें यांत्रिकता का संचार होता है। गतिशील जीवन के कारण आदमी इन्सानियत से दूर होता जा रहा है।

१२) कृत्रिम जीवन --

नगरों के औद्योगिक समाज का जीवन कृत्रिम होता है। कारखानों के धुएँ और तरह-तरह की दुर्गन्धों के कारण नगर की वायु स्वच्छ नहीं रह पाती। इसलिए अच्छी धूप और रोशनी का अभाव नगरों में होता है। काम का इतना विशेषीकरण हो गया है कि व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर पाता। शहरों में ऑफिसर, डॉक्टर, वकिल, प्रोफेसर, नेता तो दिखाई पडते हैं परंतु ` मनुष्य ` नही दिखाई पडते। प्राकृतिक वातावरण की कमी और व्यवसायों की कृत्रिम अवस्थायें शहर के लोगों के जीवन को कृत्रिम बनाये रहती है। शहर में रहन-सहन भी बनावटी होता है। स्त्रियाँ अपने निस्तेज-चेहरों को प्रसाधनों से आकर्षक बनाये रखने की चेष्टाएँ करती हैं। लोगों का ध्यान स्वास्थ्य के स्थानपर स्वाद, और आराम के स्थान पर फैशनपर अधिक रहता है। ड्राइंग रुम आराम के लिए नहीं बल्कि अपनी आर्थिक हैसियत का विज्ञापन करने के लिए सजाये जाते हैं। नगर-निवासीयों का मिलना-जुलना, बोलचाल, आवभगत, शिष्टाचार आदि सभी में एक अजीब कृत्रिमता और खोखलापन होता है। एक अजीब खामोशी, निरर्थक शोर, खोखली हँसी और अर्थहीन मुस्कराहट के सिवा वहाँ कुछ नहीं होता। किसीको किसी का विश्वास नही होता। सब अपनी ही धुन में भागते-दौडते हैं, लेकिन किसी को ये नही मालूम कि, कहाँ जाना है।

५) नगरीय परिवार की समस्याएँ --

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन में हमने देखा है कि नगरीय समुदाय में गतिशील जीवन, व्यक्तिकता, पारिवारिक एकता का अभाव, अनैतिकता तथा अपराध की बहुलता का प्रभाव धीरे-धीरे परिवार पर भी पड़ जाता है। और परिवार में कई समस्याएँ निर्माण होती हैं। उनमें से मुख्य समस्याएँ निम्नलिखित हैं --

१) पति-पत्नी के बीच सामंजस्य की समस्या --

यह सबसे कठिन समस्या है। आज की पढ़ी-लिखी और जागृत नारी जीवन के हर क्षेत्र में पति के साथ समानता चाहती है। लेकिन पति अभी इतने उदार नहीं बन गये है। अत: दोनों में संघर्ष उत्पन्न होता है। यौन संबंधों में ढिलाई और विवाह के बंधनों में अस्थिरता आदि बाते भी पति-पत्नी में संघर्ष उत्पन्न करती हैं।

२) यौन सामंजस्य की समस्या --

इसका प्रमुख कारण है यौन संबंधी मुल्यों में परिवर्तन। आजकल यौन वासनाओं की तृप्ति पर बड़ा जोर दिया जाता है। कुछ लोग यौन संबंधों में विविधता अनिवार्य मानते हैं। इससे विवाह पूर्व तथा विवाह के बाद बाहर यौन संबंध पाये जाते हैं। इन बातों से पति-पत्नी में यौन वैषम्य की समस्या उत्पन्न होकर परिवार का विघटन हो जाता है।

३) रोमांचक प्रेम पर आधारित विवाह --

इस प्रकार के विवाहों के बाद जब परिवार में पति-पत्नी के रोमांचक प्रेम के सपने पूरे नहीं होते तो उन्हें बड़ी चोट लगती है। इससे वे एक दूसरे को दोष देने लगते हैं और अन्त में जीवन भर कलह करते रहते हैं या फिर विवाह से बंधमुक्त होते हैं। अत: रोमांचक विवाहों के अनिवार्य दुष्परिणाम तलाक और पारिवारिक विघटन होते हैं।

४) विवाह विच्छेद की समस्या --

आजकल विवाह एक सामाजिक समझौता रह गया है। भौतिकवाद, व्यक्तिवाद, बुध्दिवाद आदि के कारण प्रेम भावना का -हास हुआ है। यौन सुख भोग पर अधिक बल दिया जाता है। स्त्रियां अब स्वावलंबी बन गयी हैं। तलाक के नियम भी अब शिथिल बन गये हैं। इन सभी कारणों से विवाह विच्छेद की संख्या में वृध्दि हुयी है।

५) काम करनेवाली स्त्रियों की समस्याएँ --

आजकल स्त्रियाँ पुरुषों के कन्धे से कन्धा लगाकर सभी क्षेत्रों में काम कर रही हैं। इन स्त्रियों को उनके बच्चों की उचित देखभाल करने का अवसर ही नहीं मिलता। इससे बच्चों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है और पति-पत्नी में मन-मुटकाव हो जाता है। अत: घर की सुख-शान्ति बनाये रखने की समस्या निर्माण होती है।

६) पारिवारिक जीवन के लिए शिक्षा --

नगरीय परिवार के सदस्यों के विचारों, आदर्शों और परिस्थितियों में तीव्र गति से होने वाले परिणामों और भेदों के कारण पारिवारिक विघटन का खतरा उपस्थित हो गया है। सभी में सामंजस्य प्रस्थापित करने के लिए पारिवारिक-जीवन के लिए शिक्षा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

७) पारिवारिक अनुशासन में शिथिलता --

परिवार के सदस्योंपर नियंत्रण कम होने से परिवार का अनुशासन शिथिल हो गया है। परिवार के सभी सदस्य अपने-अपने रास्तेसे जाना चाहते हैं। उनमें मनमौजी पन दिखाई देता है। कोई किसी प्रकार की रोक-टोक पसंद नहीं करता।

८) पारिवारिक संघर्ष और कलह --

पारिवारिक नियंत्रण कम होने और मुल्यों में परिवर्तन होने से पति-पत्नी में और माता-पिता तथा बच्चों में संघर्ष बढ गया है। इससे परिवार में

अशान्ति उत्पन्न होकर सुख नष्ट हो जाता है। सदस्यों में परस्पर अविश्वास और परायापन फैल जाता है।

९, न्यून जन्मदर --

नगरों में विवाह प्राय: देरसे किये जाते हैं। गर्भ-निरोधक औषधियों का अत्याधिक प्रयोग तथा बच्चों को भार समझाने के कारण नगरीय परिवार में जन्मदर गिर रही है। कभी-कभी बच्चों को अवांछनिय समझा जाता है। इससे परिवार की अस्थिरता बढ़कर पति-पत्नी में उत्तरदायित्व की भावना कम होती है और पारिवारिक बन्धन घनिष्ठ नहीं रह पाता।

संक्षेप में नगरीय समाज के सामने परिवार विघटन की प्रमुख समस्या उपस्थित है। इस तरह की विविध समस्याएँ पारिवारिक संबंधों तथा सामाजिक एकता को खोखला कर रही हैं।

६) महानगर की कुछ प्रमुख समस्याएँ ---

उपर हमने देखा है कि महानगर कैसे-कैसे बनते और विकसीत होते हैं। उद्योग, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन आदि सुविधाओं के लिए लोग अपने गाँवों को छोड़-छोड़ कर शहर की ओर चले आते हैं और जन संख्या की वृध्दि होती रहती है। विविध जाति, धर्म के लोग महानगर में बसते हैं। दिन-ब-दिन गाँव छोड़कर शहरों की ओर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अत: उनके रहने के लिए पर्याप्त मकान नहीं मिलते, इसलिए आवास की समस्या निर्माण होती है। इसके साथ-साथ बेकारी, अपराध, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति आदि समस्याएँ महानगरों में बड़ीही कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न कराती है। कुछ प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित ---

(१) बेकारी

योजना आयोग के अनुसार भारत में बेकारों की संख्या में वृध्दि होने का प्रमुख कारण है, तीव्र-गति से बढ़ती हुयी जनसंख्या। इसके कारण सब लोगों को

काम देना कठिन हो जाता है। औद्योगिकता के कारण कुटीर और गृहउद्योगों को आघात पहुँचा है। जिससे बेकारों की संख्या और भी बढ गयी है।

पंचवर्षीय योजनाएँ कार्यान्वित कर भारत सरकार ने इस समस्या को सुलझाने का भरसक प्रयास किया है। सन १९५१ से १९६१ तक लगभग दो करोड एक लाख श्रमिकों की वृध्दि हुयी, जिसमें से आधे कृषिश्रमिक और पचास लाख कृषिसंबंधित रोजगारों मे थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में बेकारों की संख्या लगभग करोड हो गयी, इनमें ७५ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। वास्तव में ये आँकडे देश में बेकारों की संख्या को एकदम सही तौरसे नहीं प्रकट करते क्योंकि बहुतसे बेकार,लोग अपना आत्मविश्वास खोने के कारण एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंजों में नाम ही नही लिखवाते।

इस जबर्दस्त बेकारी के कारण देशमें प्राकृतिक साधनों की भरपूर मात्रा होने के बावजूद भयंकर निर्धनता फैली हुयी है। हजारों नवयुवकों ने आत्मविश्वास खो दिया है। और बहुतसे चोरी,डकैती जैसे समाज विरोधी कार्यों में लगे हुये हैं। कुछ बेकारीसे उबकर आत्महत्या भी करते हैं।

औद्योगिक बेकारी ----

अपूर्ण औद्योगिक विकास,उद्योगों की स्थान-विषयक स्थिति दोषपूर्ण और अन्तर्राष्ट्रिय बाजार का अभाव आदि के कारण औद्योगिक बेकारी पनप रही है।

शिक्षित बेकारी --

दुषित शिक्षा प्रणाली तथा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की भरमार, जिससे हजारों स्नातक प्रतिवर्ष उपाधियाँ लेकर निकलते हैं और शिक्षित बेकारों की संख्या बढती जाती है।

(२) अत्यधिक भीडभाड और गन्दी बस्तियाँ --

यह महानगर की सबसे अधिक गम्भिर और कठिन समस्या है। भारत में औद्योगिक नगरों में लगभग ६० प्रतिशत लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं। और संपूर्ण देश में लगभग ११५ लाख से भी जादा लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं। कानपुर में गन्दी बस्तियों को ` अहाता ` कलकत्ता और दिल्ली में ` बस्ती ` ,बम्बई में ` चाल`

और मद्रास में ' चेरी ' कहते हैं। शोषण और हृदयहीनता गन्दी बस्तियों के बसने के प्रमुख कारण हैं। इसके बारे में बंगाल के गवर्नर श्री.के.सी. ने १९४५ में कहा था ' मैंने जो कुछ देखा है, उससे मैं भयभीत हो उठा हूँ। मानवप्राणी अन्य मानव - प्राणियों को ऐसी अवस्थाओं में रहने नहीं दे सकते।' [१]

गन्दी बस्तियों की परिभाषा करते हुये ' एस.के.गुप्ता ने कहा है ---- ' मानवी आवास के लिए अयोग्य ऐसी मकानों की भीड़ को गन्दी बस्ती कहते हैं।' [२] पाश्चात्य विद्वान फोर्ड के अनुसार --' जिन बस्तियों के मकान मानव को रहने के लिए निकृष्ट, स्वास्थ के लिए घातक, सुरक्षा, नैतिकता और वहाँ के लोगों की दृष्टि से हानीकारक होते हैं, उन बस्तियों को गन्दी बस्ती कहते हैं।' [३]

अपने गाँवों, घरों को छोड़कर रोजगार पाने के लिए शहर की ओर आने - वाले लोगों की संख्या में दिन-ब-दिन वृध्दि हो रही है। शहर में आये हुये लोगों के रहने के लिए जब अच्छे मकान नहीं मिलते तब लोग गन्दी बस्तियों का सहारा लेते हैं।

गन्दी बस्तियों के कारण --

(१) गरीबी --

कोई भी मनुष्य जानबूझकर गन्दी बस्तियों में नहीं रहता। उसकी गरीबी उसे इस तरह के नरक में रहने को मजबूर कर देती है। कुछ श्रमिकों की दैनिक आय इतनी कम होती है कि वे अपने आवास पर अधिक पैसा खर्च नहीं कर सकते और मजबूरन गन्दी बस्तियों का सहारा लेते हैं।

(२) मकानों की कमी --

महानगरों में जनसंख्या की दृष्टिसे मकानों की कमी है। नगर की भीड़-भाड़ में धनिक और जमिंदार भी एक-एक कोठरी वाले मकान में रहते हैं। आवास की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण कोई अपना कारोबार, नौकरी तथा उद्योग छोड़कर

---

१ भारत में नगरीय समाजशास्त्र - डा.रामनाथ शर्मा -- पृ.१५५

२ भारतीय सामाजिक समस्या (मराठी) - डॉ.बी.के.खडसे - पृ.१५५

३ भारतीय सामाजिक समस्या - डॉ.बी.के.खडसे - पृ.१५५

तो नही जा सकता, अत: अच्छे मकान में रहने की अभिलाषा मन में होने के बावजूद कई लोग गन्दी बस्तियों में ही रहते हैं।

(३) शोषण और हृदयहीनता --

श्रमिकों की गरीबी और जरूरत से लाभ उठाकर इन बस्तियों के मालिक बराबर किराया तो लेते हैं बल्कि, बस्तियों की सफाई, रोशनी आदि का प्रबन्ध करना अपना कर्तव्य नहीं समझते। अत: इस तरह की बस्तियों में स्वच्छता होने के बजाए वे ज्यादा गन्दी ही होती रहती हैं।

(४) नगर नियोजन की कमी --

गन्दी बस्तियों की स्वच्छता, उनका विकास आदि कामों का उत्तर - दायित्व नगरपालिकाओं पर भी होता है। वे नगर के विकास के लिए कानुन बनाती हैं, लेकिन विकास दूरकी बात हो गयी है। नगरपालिकाएँ यदि नगर का विकास सुआयोजित तौर पर करती तो आज औद्योगिक नगरों के काले दाग ये गन्दी बस्तियाँ दिखाई नहीं पड़ती।

(५) सरकार द्वारा आवश्यक सुधारों का अभाव --

बस्तियों के मालिक, नगरपालिकाएँ और इनो साथ-साथ सरकार भी गन्दी बस्तियों के मौजूद होने या उनके विस्तार के लिए जिम्मेदार है। यदि बस्तियों को साफ करने के लिए उनके मालिकों को बाध्य किया जाय तो वे गन्दी नहीं रहेंगी। शोषण के विरुध्द सरकार नेही कठोर कदम उठाने की जरूरत है। हर्ष की बात यह है कि, हमारी सरकार धीरे-धीरे इस बारे में समुचित कार्यवाही कर रही है।

अत: अन्त में हम यह कहेंगे कि, महानगरों में मकानों के किराये बराबर बढ़ते ही जा रहे है और इसी कारण गन्दी बस्तियों में कोई संतोषजनक कमी नहीं हुयी है। बड़े नगरों की भीड़-भाड़ बढ़ती ही जा रही है।

३) वेश्यावृत्ति --

वेश्यावृत्ति एक गंभीर सामाजिक समस्या है,जो महानगरों में विशेष रुपसे दिखाई देती है। भारत में वेश्याओं की संख्या के बारे में निश्चित आँकडे उपलब्ध नहीं हैं। उनकी संख्या लगभग ७५ हजार है। बम्बई में २६९ वेश्यालय और १२,०५८ वेश्यायें हैं। पश्चिम बंगाल में ५,०९५ वेश्यालय और ४५,००० वेश्यायें हैं। बिहार में लगभग १०० वेश्यालय हैं। इस प्रकार देश के हर हिस्से में कितनी वेश्याएँ हैं, इसके पूरे आँकडे उपलब्ध नहीं हैं। जब कोई स्त्री केवल रुपयों के बदले किसी पुरुष से यौन संबंध स्थापित करती है तब वह अनैतिक कार्य वेश्यावृत्ति कहलाता है। जी.आर.स्कॉट ने अपने 'हिस्टरी ऑफ प्रोस्टिटयूशन' इस ग्रंथ में वेश्यावृत्ति की इस तरह परिभाषा की है --

"एक व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) जो किसी प्रकार के नविन (आर्थिक या अन्य प्रकार के) अथवा किसी अन्य प्रकार के निजी संतोष के लिए और एक अल्प-समय या पूर्ण समय के व्यवसाय के रुप में समलिंगिय अथवा भिन्न लिंगीय विभिन्न व्यक्तियों से सामान्य अथवा असामान्य यौन सहवास स्थापित करता है, वह वेश्या है।"[१]

वेश्यावृत्ति के विषय में जो वैज्ञानिक खोजे की गयी हैं, उनसे ये जाहिर हुआ है कि,भिन्न-भिन्न स्त्रियाँ भिन्न-भिन्न कारणों से वेश्या व्यवसाय करती हैं। कानपुर की वेश्याओंपर की गयी खोज से स्पष्ट हुआ है कि, वहाँ की अधिकांश वेश्याएँ निर्धनता के कारण वेश्या बनी है। अनेक स्त्रियाँ गुन्डों के अत्याचार से या उनके चक्कर में पडकर वेश्या बनती हैं। तथा अनेक स्त्रियाँ स्वेच्छासे वेश्यावृत्ति ग्रहण करती हैं। वेश्यावृत्ति का और एक महत्वपूर्ण कारण यह है वेश्यागमन करने वालों की संख्या में दिन-ब-दिन होने वाली वृध्दि। यौन संबंधो में विविधता और अवैध संबंध स्थापित करने की प्रवृत्ति आदि के कारण वेश्यावृत्ति को चालना ही मिलती है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि, आर्थिक,सामाजिक ,धार्मिक,सांस्कृतिक तथा

---

१ भारत में नगरीय समाजशास्त्र - डा. रामनाथ शर्मा -- पृ.१६६ ।

मनोवैज्ञानिक आदि कारण हैं जो वेश्यावृत्ति में वृद्धि करते हैं।

४) भिक्षावृत्ति --

भिक्षावृत्ति भारतीय नगरों का कलंक और समाज के लिए अभिशाप है। आज भारत में लगभग पाँच लाख भिखारी हैं। भिखारियों की समस्या केवल आर्थिक समस्याही नहीं है, उनमें तरह-तरह की भयंकर बीमारियाँ और दुराचरण पाये जाते हैं। इसप्रकार वे समाज के स्वास्थ शान्ति और व्यवस्था के शत्रु हैं। प्राचीन काल में भी हमारे देश मे भिखारी थे, परंतु उस समय के भिखारियों में और आज-कल के भिखारियों में बड़ा अंतर है। प्राचीन काल में अधिकतर भिक्षुक वे धार्मिक थे और पेट पालने के लिए भीख माँग लेते थे। परंतु आजकल भीख माँगना एक व्यवसाय बना लिया गया है।

१९४५ के 'बाम्बे बेगारी ॲक्ट' ने भिखारी की परिभाषा इस तरह की है -- " एक व्यक्ति जिसके जीवन-यापन का कोई साधन नहीं है और जो इधर-उधर घूमता रहता है या सार्वजनिक स्थानों में पाया जाता है, अथवा भीख माँगने के लिए अपना प्रदर्शन करता है वह भिखारी कहलाता है।" [१]

सन १९५१ की जनगणना के अनुसार भारत में ४,८७,९०४ भिखारी और आवारा लोग थे। इनमें ३,४४,२१६ पुरुष और १,४३,६४१ स्त्रियाँ थी। महानगरों में जनसंख्या अधिक होती है अत: भिखारियों की संख्या भी वहाँ अधिक दिखाई पड़ती है। ये भिखारी मन्दिर,मस्जिद, रेल्वे स्टेशन,बस स्टेशन,बाजार, होटल,मेला, पार्क आदि सार्वजनिक स्थानोंपर दिखाई पड़ते हैं। आम तौर पर भिखारी शहर और गाँव दोनों जगह पाये जाते हैं। धार्मिक भिखारी,जनजातीय भिखारी ,पंगु भिखारी,रोगी भिखारी,बालभिक्षुक तथा व्यावसायिक भिखारी आदि इनके वर्ग किये जा सकते हैं।

---

१ दि बाम्बे बेगारी ॲक्ट १९४५ - भारत में नगरीय समाज शास्त्र - डा.रामनाथ शर्मा - पृ.१७४।

भिक्षावृत्ति के कारण --

(१) आर्थिक कारण -- भिक्षावृत्ति के सभी मुख्य कारण आर्थिक हैं। गरीबी और बेकारी के कारण अनेक लोग भिक्षावृत्ति ग्रहण करते हैं और काम मिलनेपर छोड़ सकते हैं। इस तरह अधिकतर भिखारी गरीबी के कारण भीख माँगते हैं।

(२) धार्मिक कारण -- धार्मिक विचार के लोग भिखारियों को दान देकर उनकी सहायुयता करते हैं। तीर्थ स्थानोंपर उनकी अच्छी खासी आमदनी होती है। धर्म के नामपर भिक्षा माँगने की प्रवृत्ति सभी स्थानोंपर दिखाई देती है।

(३) शारीरिक कारण -- भारत में अंधे, लँगड़े, लूले और अपाहिजों तथा रोगियों के कल्यान के लिए पर्याप्त प्रबंध नहीं है, अत: ये लोग भिक्षावृत्ति करने के लिए बाध्य हैं।

(४) सामाजिक कारण -- अनेक सामाजिक कारण भी भिखारियों को उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए नीची जातियों में विधवायें अथवा परित्यक्त स्त्रियाँ भीख माँगती हैं।

(५) मानसिक कारण -- अनेक मानसिक रोगी या किसी प्रकारके भयंकर मानसिक संघर्ष से ग्रस्त व्यक्ति आवारा बन जाते हैं, और भीख माँगकर जीवन-यापन करते हैं।

(६) विपत्तियों से ग्रस्त व्यक्ति -- बाढ़, भूचाल या अकाल आदि विपत्तियों से हजारों लोग बेघरबार और असहाय हो जाते हैं। अत: उन्हे भीख माँगकर पेट पालना पड़ता है। अनाथ बच्चें भीख माँगते हैं। कमाने वाले व्यक्ति की मौत भी कभी कभी घरके स्त्री और बच्चों को भिखारी बना देती है।

५ अपराध की समस्या --

अपराध क्या है ?

नगरों की एक और समस्या अपराध है। समाज और राज्य अथवा इन दोनों में से किसी एक के विरुध्द कोई भी कार्य अपराध कहलाता है। यह आवश्यक नहीं है, कि प्रत्येक समाज विरोधी कार्य राज्य के भी विरुध्द माना जाए और राज्य उसके लिए दण्ड का विधान करें, और जो कार्य करने पर राज्य द्वारा निषेध और दण्ड का विधान किया जाए वे समाज विरोधी भी हो। उदाहरण के लिए अंग्रेजी शासन काल में भारतीय देशभक्तों द्वारा किये गये अनेक कार्य राज्य की दृष्टिसे अपराध थे, लेकिन समाज की दृष्टिसे सन्माननीय थे। इस प्रकार अपराध की धारणा को सामाजिक और वैधानिक इन दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है।

वैधानिक दृष्टिसे अपराध में वे सब काम आते है, जिनका राज्य ने निषेध किया है और जिनके करनेपर दण्ड दिया जाता है। और सामाजिक दृष्टिकोण से सभी तरह के समाज विरोधी कार्य सामाजिक अपराध हैं। इस तरह के कामों के करनेपर समाज बहिष्कार आदि के द्वारा व्यक्ति को दण्ड देता है।

अपराध की परिभाषा देखते समय सामाजिक और वैधानिक इन्ही दो दृष्टिकोणों से उसे देखना अनिवार्य है। एम्.जे.सेथना -- वैधानिक दृष्टिसे उसकी व्याख्या करते हुये कहते हैं --

'कोई भी कार्य अथवा त्रुटि है जो कि सम्बंधित देश में उस समय प्रचलित कानून के अंतर्गत दण्डनीय हो।' [१]

इलियट और मेरिल के मतानुसार --' अपराध याने कानून के विरुध्द होनेवाला हर वर्तन जिसे करने से मृत्यूदण्ड,कारावास या सुधार गृह में रहने की सजा दी जाती है।' [२]

---

१ भारत में नगरीय समाजशास्त्र - डॉ.रामनाथ शर्मा - पृ.१८० ।

२ भारतातील सामाजिक समस्या (मराठी) - सं.डॉ.विलास संगवे - पृ.२९ ।

सामाजिक दृष्टि से अपराध की व्याख्या करते हुये गीलीन और गीलीन कहते हैं -- ` अपराधी कृति वस्तुत: समाज विघातक होती है अथवा उस कृति को समाज विघातक रुप में देखा जाता है अथवा वह कृति समाज विघातक है यह विश्वास समाज के लोगों में होता है। अर्थात ऐसे लोगों के समुह को अपना यह विश्वास औरोंपर भी लादने की सत्ता होती है, इतना ही नही ऐसा लोक समुह अपराधी कृति करनेवाले उस व्यक्ति को उसकी कृति के लिए दण्ड का विधान कर सकता है। '[१]

प्राचीन काल में भारत में अपराध की प्रवृत्ति बहुत कम थी। लेकिन समय बीतने के साथ अपराधों की संख्या बढ़ती गयी। देश के विभाजन के बाद तो इसमें बाढ़ सी आ गई है। भारत में सबसे अधिक अपराध संपत्ती संबंधी हैं। इनके बाद शारीरिक और यौन अपराधों का नंबर आता है। भारत में होने वाले अपराधों के कारणों को आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा शिक्षा और मनोरंजन संबंधी वर्गों में बाँटा जा सकता है।

---

१ भारतातील सामाजिक समस्या (मराठी) - सं.डा. विलास संगवे - पृ.३० ।